न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 161/2023

अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
2. मुकेश पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवास चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– सायलान

बनाम्

1. गुडडी देवी पत्नी स्व0 फकीरचन्द जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
2. रेखादेवी पुत्री फकीरचन्द जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
3. सपना पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
4. रजिराम पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवासी चाईया तहसील रावतसर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।
7. उप पंजीयक कार्यालय रावतसर तहसील रावतसर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 28/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 332/341 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 7 केएम तहसील रावतसर के खाता स0 46/16 की कुल 3.1480 हैक्ट भूमि सायलान व गैरसायल के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण बिना सहमति के बिना विभाजन करवाये वाद भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहते है अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 332/341 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 7 केएम तहसील रावतसर के खाता स0 46/16 की कुल 3.1480 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण वाद भूमि के विशेष खसरा नम्बर/मु0न0 को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की हम उत्तरदातागण जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार अपनी वाद भूमि पर काबिज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा अपने हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है सायलान हमारे कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 332/341 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 7 केएम तहसील रावतसर के खाता स0 46/16 की कुल 3.1480 हैक्ट भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम मुश्तरता खताा में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/1/2025 मेरे हस्ताक्षर लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर